

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2018/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्रीमति गीता शर्मा, अति. प्रशासनिक अधिकारी	अधीक्षक, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।	01.07.1958	30.06.2018
2.	श्री जगदीश नारायण मीणा, अति. प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई राज. जयपुर।	05.07.1958	31.07.2018
3.	श्री शान्तिलाल हरिजन, वरिष्ठ सहायक	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कलिंजरा, बांसवाडा।	15.12.1958	31.12.2018
4.	श्री घनश्याम सिंह राजावत, सहा. प्रशा. अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, परबतसर, नागौर।	01.01.1959	31.12.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर


दिनांक : 09/05/18

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2018/1140

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा/नागौर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वा. केन्द्र, कलिंजरा, बांसवाडा।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर, नागौर।
7. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
8. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
9. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर